

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

क्रमांक: TANC/AMB/2015/07


दिनांक-7.4.15

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक प.3(8)प्रसु/टाइम्स/2013 दिनांक 24.12.2014 के क्रम में मण्डल में पदस्थापित अधिकारियों के दौरे/निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के मानदण्ड विभिन्न जिलों में सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार जारी किये जा रहे हैं-

क्र. सं.	निरीक्षणकर्ता/विजिटकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का नाम मय पद	विद्यमान मानदण्ड	निरीक्षण/विजिट के संशोधित मानदण्ड
1.	मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय	वर्ष में 24 दिवस तथा 12 रात्रि विश्राम	प्रत्येक माह दो दिवस एवं एक रात्रि विश्राम
2.	सचिव	वर्ष में 24 दिवस तथा 12 रात्रि विश्राम	प्रत्येक माह दो दिवस एवं एक रात्रि विश्राम
3	वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी	वर्ष में 12 दिवस तथा 6 रात्रि विश्राम	प्रत्येक दो माह में दो दिवस एवं एक रात्रि विश्राम
4	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक	वर्ष में 24 दिवस तथा 12 रात्रि विश्राम	प्रत्येक दो माह में दो दिवस एवं एक रात्रि विश्राम
5	निदेशक-विधि	वर्ष में 24 दिवस तथा 12 रात्रि विश्राम	प्रत्येक माह दो दिवस एवं एक रात्रि विश्राम
6	अति.मुख्य अभियन्ता	वर्ष में 30 दिवस तथा 15 रात्रि विश्राम	प्रत्येक माह तीन दिवस एवं दो रात्रि विश्राम
7	उप आवासन आयुक्त	वर्ष में 15 दिवस तथा 5 रात्रि विश्राम	प्रत्येक दो माह में तीन दिवस एवं एक रात्रि विश्राम
8	आवासीय अभियन्ता	-	माह में दो दिवस


सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उक्त मानदण्डों के अनुसार तिथिवार यात्रा कार्यक्रम सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर जनसुनवाई हेतु तय जिले में प्रमुख स्थानों तथा कार्यालयों के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने के साथ साथ राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।


 (आनन्द कुमार)
 आवासन आयुक्त

कृ.पू.उ.

प्रतिलिपि-सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय/प्रथम/द्वितीय, रा. आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक-विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा.आ.मं., जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम, तृतीय, राज.आवासन मण्डल, जयपुर/द्वितीय, जोधपुर।
5. उप सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. समस्त उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत
7. समस्त आवासीय अभियन्ता, राज. आवासन मण्डल, खण्ड
8. संयुक्त निदेशक-सिस्टम, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


आवासन आयुक्त